झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालय की स्थापना अनुमति हेतु आवेदन पत्र

(झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना–अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली 2008, पर आधारित)

1. प्रस्तावित विद्यालय का नाम :– .....

   पत्राचार का पता :– .....

   .....

   .....

2. स्थापना वर्ष :–

3. प्रस्तावित विद्यालय को संचालित करने वाले सोसाईटी का नाम :–

क्र० सं०	स्थापना अनुमति की शर्त्तें	शर्त्तों के अनुपालन की स्थिति
4.	**(क)** प्रस्तावित विद्यालय किसी निबंधित न्यास, निकाय, सोसाईटी से संचालित होगा। विद्यालय को प्रस्तावित करने वाला निकाय अथवा न्यास सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अधीन निबंधित होना चाहिए। **(साक्ष्य स्वरूप संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली की छायाप्रति संलग्न की जाय)**	

	(ख) प्रस्तावित संस्था की कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम एवं पता :– **(प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी अथवा नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाय कि प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों में एक ही परिवार के दो सदस्य या निकट संबंधी नहीं है।)**	**क्रमांक नाम पता पदनाम**
5.	(क) क्या प्रस्तावित स्थान पर संस्था की आवश्यकता है ? (i) तीन किलोमीटर की परिधि में अवस्थित उच्च विद्यालय का नाम एवं प्रस्तावित स्थल से उनकी दूरी का विवरण जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, की छायाप्रति संलग्न की जाय। (ii) प्रस्तावित विद्यालय के पोषक क्षेत्र की आबादी एवं उस क्षेत्र में अवस्थित मध्य विद्यालय का विवरण जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, की छायाप्रति संलग्न की जाय।	

	(ख) क्या प्रस्तावित करनेवाला निकाय अथवा न्यास संस्था का उचित तौर पर संचालन करने में समर्थ है ?	
6.	विद्यालय को प्रस्तावित करने वाला न्यास, निकाय अथवा सोसाईटी का आवर्तक वार्षिक आय पर्याप्त होना चाहिए जिससे कि विद्यालय संचालन और कर्मियों का वेतनादि भुगतान करने के लिए उक्त संस्था सक्षम है। (i) प्रस्तावित विद्यालय का विभिन्न मद में आवर्तक वार्षिक व्यय का विवरण संलग्न किया जाय। (ii) विद्यालय का प्रस्ताव करने वाली संस्था का वार्षिक आमदनी एवं व्यय का ब्यौरा अंकेक्षित लेखा सहित संलग्न किया जाय।	
7.	<u>सुरक्षा कोष</u> (क) संस्था के खाता में माध्यमिक विद्यालय के सुरक्षा कोष में राशि है या नहीं ? संस्था के खाते में उपलब्ध राशि का विवरण :– **(साक्ष्य स्वरूप संस्था के बैंक पास बुक की छायाप्रति संलग्न की जाय।)** (ख) क्या संस्था के खाते में प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालय के लिए भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आदि निर्माण हेतु पर्याप्त सुरक्षित कोष है? यदि हाँ तो विवरण :– **(साक्ष्य स्वरूप बैंक पास बुक की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाय।)** (ग) प्रारम्भ में निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2 लाख रूपये एवं शहरी क्षेत्र के लिए 5 लाख रूपये का कोष, भवन, सुरक्षा कोष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि के लिए पर्याप्त माना जाएगा।	**बैंक का नाम –** ..... **खाता संख्या –** ..... **राशि –** ..... **बैंक का नाम –** ..... **खाता संख्या –** ..... **उपलब्ध राशि –** .....
8.	अपना भवन का निर्माण होने तक विद्यालय चलाने हेतु विद्यालय के पास वर्ग कक्ष और कार्यालय चलाने के लिए कम–से–कम प्रत्येक छात्र पर 2½ वर्गफीट जगह वाला कमरा। भवन किराये पर या निबंधित लीज पर होना चाहिए। **(लीज या किराया पर भवन लेने की स्थिति में निबंधित डीड/एकरारनामा की छायाप्रति संलग्न की जाय। अपना भवन होने की स्थिति में भवन का प्रमाणित फोटो तथा अभियंता द्वारा प्रमाणित नक्शा जिसमें कमरों की लम्बाई तथा चौड़ाई का उल्लेख**	

	हो की छायाप्रति संलग्न की जाय।)	
9.	विद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 02 (दो) एकड़ तथा शहरी क्षेत्र के लिए 0.50 (पचास) डीसमील एक खण्ड में भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त कर लिया हो। (साक्ष्य स्वरूप भूमि का निबंधित डीड, दाखिल खारिज, अद्यतन मालगुजारी एवं नक्शा की छायाप्रति संलग्न की जाय।)	खाता नं० – ..... प्लॉट नं० – ..... रकवा – .....
10.	विद्यालय की स्थापना अनुमति की शर्तों की पूर्ति से संबंधित शपथ पत्र संलग्न है या नहीं ? (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न की जाय।)	
11.	अनुज्ञा/अनुमति शुल्क की राशि का विवरण :–	बैंक ड्राफ्ट नं० ..... तिथि .....

नोट :–

(i) परिषद् से स्थापना अनुमति प्राप्त किए बिना विद्यालय छात्रों का नामांकन नहीं करेगी।

(ii) स्थापना अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दी जायेगी।

(विद्यालय प्रस्तावित करने वाले संस्था के सचिव का हस्ताक्षर एवं मुहर)

परिशिष्ट–1

शपथ–पत्र

मैं ..... पिता का नाम.....
उम्र..... वर्ष, ग्राम ..... थाना..... जिला.....
राज्य.....प्रस्तावित विद्यालय.....
का झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से स्थापना अनुमति हेतु दिये गये आवेदन के क्रम में शपथ पूर्वक सच–सच निम्नांकित घोषणा करता हूँ :–

1. यह कि प्रस्तावित विद्यालय ..... विधिवत निबंधित/न्यास/समिति ..... के द्वारा संचालित है जिसकी निबंधन संख्या..... दिनांक..... ..... है एवं निबंधित पता .... है।
2. यह कि मैं उक्त न्यास/समिति/विद्यालय प्रबंध समिति/ .... का ..... (पद का नाम) हूँ एवं इस शपथ–पत्र के माध्यम से की जा रही घोषणा को हस्ताक्षरित करने के लिए प्राधिकृत एवं सक्षम हूँ।
   (न्यास/समिति/विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें)
3. यह कि प्रस्तावित विद्यालय झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से स्थापना अनुमति के लिए निर्धारित सभी शर्त्तों एवं मानकों को पुरा करता है।
4. यह कि न्यास/समिति/विद्यालय प्रबंध समिति राज्य में निजी विद्यालयों को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से स्थापना अनुमति हेतु निर्गत सभी शर्त्तों को एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सभी शर्त्तों एवं भविष्य में समय–समय निर्गत निदेशों का अनुपालन करेगा।
5. यह कि न्यास/समिति/विद्यालय प्रबंध समिति/विद्यालय देश एवं राज्य के विधानों, नियमों एवं परिनियमों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेगा और न ही किसी राष्ट्र–विरोधी कार्य में भाग लेगा अथवा उसके लिए उत्प्रेरित करेगा।
6. उपरोक्त कण्डिकाओं में की गई घोषणाओं में दी गई अंतर्वस्तु अथवा इसके किसी अंश का असत्य पाया जाता है अथवा दिये गये वचन का अनुपालन नहीं किया जाता है तो झारखण्ड अधिविद्य परिषद् स्थापना की अनुमति वापस ले सकती है।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ..... शपथपूर्वक पुनः घोषणा करता हूँ कि इस शपथ–पत्र की कंडिका–1 से 6 में दी गई अंर्तवस्तु सत्य है एवं उल्लिखित वचनबद्धता जाँच में असत्य पाए जाने पर राज्य सरकार मेरे विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर
पहचानकर्त्ता अधिवक्ता
(नाम एवं पता सहित)

हस्ताक्षर
शपथकर्त्ता

हस्ताक्षर
शपथ दिलानेवाले पदाधिकारी,
का हस्ताक्षर एवं मुहर

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

प्रस्तावित इंटर महाविद्यालयों की स्थापना अनुमति हेतु निर्धारित शर्त्तों से संबंधित आवेदन सह विहित प्रपत्र :–

(झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली 2005 एवं अनुवर्त्ती संशोधन नियमावली 2006 पर आधारित)

1. प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम :– .....

   पत्राचार का पता :– .....

   .....

   दूरभाष :– .....

2. स्थापना वर्ष :– .....

क्र० सं०	स्थापना अनुमति की शर्त्तें	शर्त्तों के अनुपालन की स्थिति
3.	(i) प्रस्तावित महाविद्यालय को संचालित करने वाले सोसाईटी का नाम :– **(साक्ष्य स्वरूप संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली की छायाप्रति संलग्न की जाय)**	प्रस्तावित संस्था की कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम एवं पता :–
	(ii) संस्था को प्रस्तावित करने वाला निकाय कम–से–कम सात सदस्यों का होगा और सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 21, 1860 के अधीन निबंधित होना चाहिए। **(प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी अथवा नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाय कि प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों में एक ही परिवार के दो सदस्य या निकट संबंधी नहीं है।)**	**क्रमांक नाम पता पदनाम**

4.	क्या प्रस्तावित स्थान पर संस्था की आवश्यकता है ?	
5.	क्या प्रस्तावित करने वाला निकाय, संस्था का उचित तौर पर संचालन करने में समर्थ है ?	
	(i) प्रस्तावित महाविद्यालय से निकटवर्त्ती प्रस्वीकृति प्राप्त तथा स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालय की दूरी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर तथा शहरी क्षेत्र में 3 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। (ii) पोषक क्षेत्र की आबादी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में कम–से–कम 1,00,000 (एक लाख) तथा शहरी क्षेत्र में कम–से–कम 50,000 (पचास हजार) की आबादी संस्था की स्थापना के लिए पर्याप्त मानी जाएगी।	
6.	क्या संस्था को प्रस्तावित करने वाले निकाय के पास आवर्तक वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध है ?	
7.	(i) क्या संस्था के खाते में सुरक्षा कोष जमा करने के लिए राशि उपलब्ध है तथा भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रधानाचार्य आवास और छात्रावास निर्माण हेतु सुरक्षित कोष है ? **(साक्ष्य स्वरूप बैंक पास बुक की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाय।)**	**बैंक का नाम –** ..... **खाता संख्या –** ..... **उपलब्ध राशि –** .....
	(ii) प्रारम्भ में निर्माण कार्य करने के लिए 5 लाख का भवन सुरक्षा कोष पर्याप्त माना जाएगा।	

	(iii) अपने भवन का निर्माण होने तक संस्था के पास वर्ग और कार्यालय चलाने के लिए किराये या निबंधित लीज पर कम–से–कम 600 वर्गफीट का 7 कमरा होना चाहिए।	
	(iv) भूमि :– ग्रामीण क्षेत्र में कम–से–कम 2 एकड़ (एक खण्ड में) और शहरी क्षेत्र में 1 एकड़ (एक खण्ड में) भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा संस्था को प्राप्त होना चाहिए। **(साक्ष्य स्वरूप भूमि का निबंधित डीड, दाखिल खारिज, अद्यतन मालगुजारी एवं नक्शा की छायाप्रति संलग्न की जाय।)**	खाता नं० – ..... प्लॉट नं० – ..... रकवा – .....

नोटः–

(i) परिषद् से स्थापना अनुमति प्राप्त किए बिना कोई संस्था स्थापित नहीं की जाएगी।

(ii) परिषद् से स्थापना अनुमति जब तक प्राप्त न हो जाए, संस्था छात्रों का नामांकन नहीं करेगी।

(iii) स्थापना अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दी जाएगी।

(महाविद्यालय प्रस्तावित करने वाले संस्था के सचिव का हस्ताक्षर एवं मुहर)

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 517

20 आषाढ़ 1930 शकाब्द

राँची, शुक्रवार 11 जुलाई, 2008

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

11 जुलाई, 2008

संख्या--/अ8-11/2006-1902--झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2002 की धारा 26(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निजी प्रबंधन में संचालित गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय के उन्नयन बेहतर संगठन एवं विकास के साथ-साथ पठन-पाठन एवं प्रबंध और संचालन व्यवस्था के समुचित विकास के लिए, झारखण्ड के राज्यपाल राज्य में सामान्य एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं : -

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(क) यह नियमावली झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधज) नियमावली 2008 कहा जाएगी ।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(ग) यह राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा ।

2 परिभाषाएँ :- जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 ।

(ख) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 ।

(ग) ''माध्यमिक शिक्षा'' से अभिप्रेत है, माध्यमिक स्तर (नवम् एवं दशम वर्ग) तक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था ।

(घ) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ।

(ङ) ''सचिव'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का सचिव ।

(च) ''संस्था'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था ।

(छ) ''शासी निकाय'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किसी माध्यमिक विद्यालय का शासी निकाय।

(ज) ''पाठ्यक्रम'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एवं परिषद् द्वारा माध्यमिक स्तर के लिए विहित पाठ्यक्रम ।

(झ) ''सत्र'' से अभिप्रेत है, शैक्षिक सत्र ।

(ञ) ''स्थापना अनुमति'' से अभिप्रेत है, अधिविद्य परिषद् से प्राप्त स्थापना अनुमति ।

(ट) ''प्रस्वीकृति'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार से प्राप्त विद्यालय की प्रस्वीकृति ।

(ठ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य की सरकार ।

जो शब्द इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो झारखंड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 में है ।

स्थापना की अनुमति

3. झारखंड अधिविद्य परिषद की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना किसी भी माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की जाएगी ।

4 निम्नांकित शर्तों के अधीन परिषद् विद्यालय की स्थापना की अनुमति के लिए विचार करेगी ।

(I) प्रस्तावित विद्यालय किसी निबंधित न्यास, निकाय, सोसाईटी से संचालित होगा ।

(II) विद्यालय को प्रस्तावित करने वाला निकाय अथवा न्यास, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (अधिनियम 21, 1860) के अधीन निबंधित हो और कम से कम 07 सदस्यों का प्रबन्ध कारिणी समिति जिसमें एक ही परिवार के अथवा निकट संबंधी दो व्यक्ति सदस्य नहीं होना चाहिए ।

(III) विद्यालय प्रारम्भ करने के कम से कम 06 माह पूर्व झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क 10,000.00 (दस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न का सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के पदनाम से जमा करना होगा तथा विद्यालय प्रबंधन का विद्यालय के शर्तों की पूर्ति के संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा ।

(IV) विद्यालय खोलने के लिए अनुमति आवेदन पत्रों के आधार पर परिषद कार्यालय में वरीयता क्रम में पंजी का संधारण किया जाएगा, जो किसी कार्य दिवस को पंजी का अवलोकन किया जा सकेगा। पंजी का संधारण Digital Format में भी तैयार किया जा सकेगा । यह सूचना परिषद के अधिकृत web site पर उपलब्ध रहना चाहिए ।

विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त अभिलेखों एवं साक्ष्य के आधार पर झारखंड अधिविद्य परिषद यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय प्रस्तावित करने वाले न्यास, निकाय अथवा सोसाइटी का आवर्तक वार्षिक आय पर्याप्त है जिससे कि विद्यालय संचालन और कर्मियों का वेतनादि भुगतान करने के लिए उक्त संस्था सक्षम है।

(II) इसके खाते के सुरक्षा कोष में जमा करने के लिए राशि उपलब्ध है तथा भवन प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय निर्माण के लिए सुरक्षित कोष है।

(III) प्रारम्भ में निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2 लाख रुपये एवं शहरी क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये का कोष, भवन, सुरक्षा कोष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि के लिए पर्याप्त माना जाएगा।

(IV) अपना भवन का निर्माण होने तक विद्यालय के पास वर्ग कक्ष और कार्यालय चलाने के लिए कम से कम प्रत्येक छात्र पर 2½ वर्गफीट जगह वाली कमरा/भवन किराये पर या निबंधित लीज पर होना चाहिए।

(V) ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम दो एकड़ एक खण्ड में और शहरी क्षेत्र में 50 डिसमिल एक खण्ड में भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा विद्यालय ने प्राप्त कर लिया हो।

(I) झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा उपरोक्त उपबंधों के आलोक में सम्यक समीक्षोपरान्त विद्यालय को स्थापना अनुमति शर्तों की पूर्ति शपथ पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर, प्रदान कर सकेगा। (परिशिष्ट-1)

(II) परिषद् से स्थापना की अनुमति जबतक प्राप्त नहीं हो जाए तबतक विद्यालय छात्रों का नामांकन नहीं कर सकेगा।

(III) स्थापना अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दी जाएगी।

प्रस्वीकृति

7 स्थापना अनुमति प्राप्त संस्था दो वर्ष के अन्दर प्रस्वीकृति के शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात, प्रस्वीकृति हेतु आवेदन देने के लिए पात्र होगी।

नोट:- पूर्व में बिहार सरकार/झारखंड सरकार द्वारा दी गयी स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को भी इस नियमावली के अन्तर्गत प्रस्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

8 प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित पात्रता : -

(क) भूमि : ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 2 (दो) एकड़ तथा शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 50 डिसमिल भूमि विद्यालय के नाम से निबंधित या 30 (तीस) वर्षों के निबंधित लीज पर होनी चाहिए।

(ख) भवन : विद्यालय का निम्नांकित संरचना के साथ अपना भवन होना चाहिए : विद्यालय भवन में कुल 200 (दो सौ) छात्र/छात्राओं की संख्या के लिए 450 (चार सौ पचास) वर्ग फीट का कम से कम 7 (सात) कमरे होने चाहिए जिसमें चार वर्गकक्ष तथा तीन प्रयोगशाला के लिए होगा। इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक कक्ष 144 वर्गफीट आकार का, पुस्तकालय 600 वर्गफीट आकार का एवं शिक्षक कक्ष 450 वर्गफीट आकार का होगा तथा शौचालय, पयजल एवं छात्र/छात्राओं के लिए कॉमन रूम की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। भवन पक्का एवं छतदार होगा। प्रत्येक वर्ग में 60 से अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के लिए अलग से एक उप-वर्ग की व्यवस्था एवं तदनुसार वर्ग कक्ष की व्यवस्था करना होगा।

(ग) प्रयोगशाला : विद्यालय की प्रयोगशालाओं में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप उपकरण, उपस्कर एवं अन्य आवश्यक सामग्री होनी चाहिए । जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान का अलग-अलग प्रयोगशाला होगी। (प्रयोगशाला में उपकरण की सूची परिशिष्ट-II रूप में संलग्न)

(घ) पुस्तकालय : पुस्तकालय में कम से कम 30,000.00 (तीस हजार) रु० की भाषा, समाज विज्ञान विज्ञान समूह की कुल 750 (सात सौ पचास) पुस्तकें अनुपातिक संख्या में होना चाहिए ।

(ङ) सुरक्षा कोष : विद्यालय के सचिव एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त पदनाम से 50,000.00 (पचास हजार) रु० का निकटतम डाकघर में राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर सावधि खाता में उतनी राशि जमा होनी चाहिए ।

(च) उपस्कर : विद्यालय में छात्र/छात्राओं के बैठने के लिए 5 फीट X 1.5 फीट लम्बाई के क से कम 70 जोड़ी बेंच, डेस्क उपलब्ध रहेंगे । इसके अतिरिक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या के लिए पर्याप्त संख्या में उपस्कर (टेबल, कुर्सी एवं आलमीरा) इत्यादि होना चाहिए।

(छ) खेल सामग्री : फुटबॉल/वॉलीबॉल/हॉकी, इन्डोरगेम की सामग्रियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए

(ज) वैज्ञानिक साधित्र एवं शैक्षणिक उपकरण : विद्यालय में उपकरण/उपस्कर न्यूनतम 20,000.0 रु० (बीस हजार रु०) के शैक्षणिक उपकरण होना चाहिए। (परिशिष्ट-III)

(झ) कम्प्यूटर : विद्यालय में छात्रों को कम्प्यूटर के शिक्षण देने हेतु कम से कम दो अद्यतन मॉडल के कम्प्यूटर प्रिंटर तथा कम्प्युटर अनुदेशक के साथ होना चाहिए । लेकिन विशेष परिस्थिति में इस शर्त में सरकार द्वारा दो साल की छूट दी जा सकती है ।

(ञ) आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था जैसे अग्निशमन, तड़ित चालक आदि होनी चाहिए ।

3 (क) शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की मानक संख्या : विद्यालय में न्यूनतम 200 छात्र/छात्राओं तक के लिए निम्न रूप से शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी होनी चाहिए ।

(I)	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	-	01
(II)	भाषा समूह के शिक्षक	-	03 (1 पद अंग्रेजी, 1 पद हिन्दी भाषा के लिए अनिवार्य होगा एवं 1 पद क्षेत्रीय भाषाओं के लिए होगा)
(III)	समाज विज्ञान समूह के शिक्षक	-	03
(IV)	विज्ञान समूह के शिक्षक	-	03
(V)	शारीरिक अनुदेशक	-	01
(VI)	लिपिक	-	01
(VII)	आदेशपाल	-	02
	कुल	-	14

(ख) शिक्षकों की अनिवार्य योग्यता : भारत गणराज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कम से कम स्नातक उतीर्ण योग्यता के अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन०सी०टी०ई०) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से निर्धारित प्रशिक्षित योग्यता के अनुरूप होगी। जिस विषय में शिक्षक की नियुक्ति होगी उस विषय में स्नातक स्तर पर सभी कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए तथा बी०एड० की डिग्री होनी चाहिए ।

ग. प्रस्वीकृत विद्यालय के शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षकोन्मुखी कार्यक्रम/प्रशिक्षण में भाग लेना होगा ।

घ. वेतन भुगतान : विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का मासिक वेतन भुगतान निकटतम राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के क्रॉस चेक माध्यम से होना चाहिए ।

ङ. शिक्षकों की नियुक्ति : शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार की आरक्षण नीति एवं नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ।

च. सेवा शर्त : विद्यालय के शासी निकाय/न्यास, सोसाईटी के द्वारा उल्लिखित संविधान एवं राज्य सरकार के तत्सम्बन्धी नियम एवं प्रावधानों के आलोक में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त के प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक विद्यालय एक सेवा शर्त नियमावली का निर्माण करेंगे जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त एवं प्रचलित कानून पर आधारित होगा । इस नियमावली को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से औपचारिक अनुमोदन कराना आवश्यक होगा ।

छ. अनुशासनिक कारवाई : शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी पर अनुशासनिक कारवाई करने के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति सक्षम होगा । उक्त कार्रवाई के विरुद्ध शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी, झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकेंगे । इसमें न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा, जो विद्यालय प्रबन्ध समिति के लिए मानना बाध्यकारी होगा ।

10. (क) प्रस्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर परिषद् द्वारा विद्यालय के स्थल का जांच कराया जायेगा ।

जांच के लिए तीन सदस्यों की एक समिति निम्न रूप से परिषद् द्वारा गठित होगी ।

(I) संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी संयोजक होंगे ।

(II) झारखंड अधिविद्य परिषद् द्वारा दो मनोनीत सदस्य होंगे ।

(ख) जांच प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित अभिलेखों/कागजातों के आधार पर परिषद् तीन माह के अन्दर इस बिन्दु पर अपना मंतव्य गठित करेगी कि संबंधित विद्यालय नियम 8 एवं 9 में अंकित सभी शर्तों को पूरा करती है या नहीं ।

(ग) जो विद्यालय निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है उनके आवेदन कारणों का उल्लेख करते हुए परिषद् द्वारा लौटा दिये जाएंगे ।

(घ) जो विद्यालय सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करती है उनके आवेदन अनुलग्नक कागजातों सहित स्पष्ट अनुशंसा के साथ परिषद् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजेगी ।

(ङ) अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा माध्यमिक विद्यालय का सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्वीकृति प्रदान की जा सकेगी ।

(च) प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय ही अपने विद्यालय से माध्यमिक परीक्षा का फॉर्म स्वतंत्र रूप से भरा सकेगा ।

किन्तु वैसे विद्यालय जिन्हें इस नियमावली प्रख्यापन के पूर्व से स्थापना अनुमति प्राप्त है, उन्हें 2 वर्षों की छूट दी जाती है। अर्थात् इस 2 वर्ष की अवधि में विद्यालय प्रस्वीकृति प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा उन विद्यालय के छात्र/छात्राएँ विद्यालय नाम से माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।

प्रस्वीकृति हेतु आवेदन के समय इस आशय का शपथ पत्र संलग्न रहना चाहिये कि विद्यालय भविष्य में अधिग्रहण/सरकारीकरण का कोई दावा नहीं करेगा न ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (प्रधानाध्यापक सहित) एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का होगा इस हेतु विद्यालय प्रबंधन पूर्णतः जिम्मेवार होगा ।

12 प्रस्वीकृति वापस लेने की शक्ति :

(क) यदि विद्यालय प्रस्वीकृति की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहा हो ।

(ख) राज्य सरकार एवं परिषद के नियमों या निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा हो ।

(ग) विद्यालय में घोर अव्यवस्था हो ।

(घ) यदि विद्यालय प्रबंधन का कार्यकलाप राष्ट्र विरोधी हो ।

(ङ) तब परिषद द्वारा प्रस्वीकृति वापस लेने के पूर्व नैसर्गिक न्याय के तहत विद्यालय को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा ।

13 राज्य सरकार की शक्ति :

(I) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी ।

(II) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई भी स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा ।

14 निरसन एवं व्यावृति :

(I) झारखण्ड राज्य माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति (शर्त एवं बन्धेज) नियमावली 2004 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(II) ऐसी निरसन होते हुए भी उस नियमावली द्वारा उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जे० बी० तुबिद,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 705

7 पौष, 1927 शकाब्द
राँची, बुधवार 28 दिसम्बर, 2005

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2005

संख्या 3036--झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 की धारा 26 (1) की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल राज्य में इन्टरमिडिएट महाविद्यालय/ 10+2 स्तर के विद्यालय की स्थापना की अनुमति एवं प्रस्वीकृति हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :--

नियमावली

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ --

(क) यह नियमावली झारखण्ड इन्टरमिडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 कही जाएगी,

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा,

(ग) यह राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. परिभाषाएं :- जबतक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में :-
(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2002,
(ख) 'नियमावली' से अभिप्रेत है, झारखण्ड इन्टरमिडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं प्रभेद) नियमावली, 2005,
(ग) 'महाविद्यालय' से अभिप्रेत है, इन्टरमिडिएट महाविद्यालय/ 10+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था,
(घ) 'सचिव' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का सचिव,
(ङ) 'संकाय' से अभिप्रेत है, किसी महाविद्यालय या संस्था का कला, विज्ञान, वाणिज्य अथवा व्यावसायिक शिक्षा का संकाय,
(च) 'संस्था' से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन मान्यता प्राप्त इन्टरमिडिएट/ (10+2) स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था''
(छ) 'शासी निकाय' से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किसी महाविद्यालय का शासी निकाय,
(ज) 'पाठ्यक्रम' से अभिप्रेत है, परिषद् द्वारा इन्टरमिडिएट/ (10+2) स्तर के लिए विहित पाठ्यक्रम,
(झ) 'सत्र' से अभिप्रेत है, शैक्षणिक सत्र,
(ञ) 'स्थापना अनुमति' से अभिप्रेत है झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा प्रदत्त स्थापना अनुमति,
(ट) 'प्रस्वीकृति' से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा प्रदत्त प्रस्वीकृति,
(ठ) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य की सरकार,

जो शब्द इस नियमावली में परिभाषित नहीं है उनका वही अर्थ होगा जो झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2002 में है ।

स्थापना अनुमति

3. परिषद् से स्थापना अनुमति प्राप्त किए बिना कोई संस्था स्थापित नहीं की जाएगी ।
4. निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिषद् स्थापना की अनुमति देगी :-
(1) संस्था को प्रस्तावित करने वाला निकाय कम-से-कम सात सदस्यों का होगा और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम 21, 1860) के अधीन निबंधित होगा।
(2) आवेदन विहित प्रपत्र में सचिव को विहित शुल्क के साथ सत्र के प्रारंभ होने के कम-से-कम छः माह पूर्व दिया जा सकेगा ।
(3) आवेदन प्राप्त होने पर परिषद् स्थल निरीक्षण करायेगा जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं की जाँच की जाएगी :-
(क) क्या प्रस्तावित स्थान पर संस्था की आवश्यकता है ?
(ख) क्या प्रस्तावित करने वाला निकाय संस्था का उचित तौर पर संचालन करने में समर्थ है ?

स्पष्टीकरण :- (i) खंड (क) के संबंध में पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त संस्थाओं से प्रस्तावित स्थल की दूरी और आबादी के अनुसार आवश्यकता पर विचार किया जाएगा । सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में 8 (आठ) किलोमीटर की दूरी के भीतर और शहरी क्षेत्र (कम-से-कम एक लाख आबादी) में 3 (तीन) किलोमीटर के भीतर पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त संस्था नहीं होनी चाहिए और 50,000 (पचास हजार) की आबादी एक संस्था की स्थापना के लिए पर्याप्त मानी जायेगी ।

(ii) खंड (ख) के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्था प्रस्तावित करने वाले निकाय को आवर्तक वार्षिक व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध है।

(iii) इसके खाते में सुरक्षा कोष जमा करने के लिए राशि उपलब्ध है तथा भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रधानाचार्य आवास और छात्रावास निर्माण हेतु सुरक्षित कोष है।

(iv) प्रारंभ में निर्माण कार्य करने के लिए 5.00 (पाँच लाख) का भवन सुरक्षा कोष पर्याप्त माना जाएगा।

(ग) अपने भवन का निर्माण होने तक संस्था के पास वर्ग और कार्यालय चलाने के लिए किराये या निबंधित लीज पर कम-से-कम 7 कमरे (30' X 20' = 600 वर्गफीट प्रत्येक) का भवन उपलब्ध होना चाहिए।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र में कम-से-कम 2 एकड़ (एक खंड में) और शहरी क्षेत्र में 1 एकड़ भूमि (एक खंड में) का स्वामित्व एवं कब्जा संस्था ने प्राप्त कर लिया हो।

(4) परिषद् से स्थापना अनुमति जबतक प्राप्त न हो जाए, संस्था छात्रों का नामांकन नहीं करेगी।

(5) स्थापना अनुमति पूर्वलक्षी प्रभाव से नहीं दी जाएगी।

स्थायी प्रस्वीकृति

स्थापना अनुमति प्राप्त संस्था एक वर्ष के सफल संचालन के बाद ही प्रस्वीकृति हेतु आवेदन देने के लिए पात्र होगी।

अधिनियम की धारा-7(झ) के प्रावधानों के अधीन किसी संस्था को एक या अधिक संकायों से प्रस्वीकृति दी जा सकेगी।

स्थायी प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित पात्रता:

(क) भूमि --ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 2 एकड़ तथा शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 01 एकड़ भूमि निबंधित न्यास, निकाय अथवा सोसायटी जिसके अधीन संस्था संचालित है के नाम से निबंधित या 30 वर्षों के लीज पर निबंधित होनी चाहिए।

(ख) भवन -- संस्था को निम्नांकित संरचना के साथ अपना भवन होना चाहिए :-

व्याख्यान कक्ष न्यूनतम आकार 20' X 30' के कम-से-कम 7 उपस्कर युक्त व्याख्यान कक्ष।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित संरचना आवश्यक है:

	कमरा	न्यूनतम आकार	संख्या
1.	प्राचार्य कक्ष-	20' X 30'	1
2.	कार्यालय-	20' X 30'	1
3.	पुस्तकालय-	25' X 40'	1
4.	शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम	20' X 30'	1
5	छात्रों के लिए कॉमन रूम-	20' X 30'	1
6.	छात्राओं के लिए कॉमन रूम-	20' X 30'	1
7.	प्रयोगशाला-	25' X 40'	
	प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिए अलग-अलग		1

(ग) यह कि छात्रों के कल्याण के लिए उचित व्यवस्था की गई हो।

(घ) यह कि संस्था को खेल का मैदान और खान-पान की उचित सुविधायें उपलब्ध है।

(ङ) पुस्तकालय --संस्था के पास झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अनुमोदित सूची के अनुसार कम-से-कम 50,000/-(पचास हजार रुपये) मात्र की पुस्तकें उपलब्ध है।

(च) प्रयोगशाला -- संस्था के पास झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोग हेतु आवश्यक उपकरण/रसायन होने चाहिए जिनकी विशिष्टता एवं संख्या 100 छात्रों की पढ़ाई के लिए झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित की जाएगी ।
प्रयोगशालाओं में अनवरत जलापूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति की स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए ।

(छ) यह कि संस्था ने परिषद् में सुरक्षा कोष के रूप में प्रथम संकाय के लिए रु० 1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) और अगले प्रत्येक संकाय के लिए रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये) जमा कर दिये हो ।

(ज) यह कि संस्था को कर्मियों के वेतन भुगतान पर तथा पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपस्कर एवं भवन के रख-रखाव एवं अन्य आकस्मिकताओं पर होने वाले आवर्तक व्यय का वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो ।

(झ) संस्था के कर्मी -- यह कि प्रत्येक विषय में समुचित संख्या में सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई हो। विषयवार शिक्षकों की संख्या राज्य सरकार द्वारा इसके 10+2 विद्यालयों के लिये निर्धारित मानक के अनुसार ही होगी ।

(ञ) शिक्षकों की योग्यता -- (i) शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु जिस विषय में शिक्षक की नियुक्ति होनी है उस विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में कम-से-कम 45 प्रतिशत अंक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त बी०एड० (राज्य सरकार/ राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसान्य) की योग्यता न्यूनतम योग्यता होगी ।

परन्तु संस्था के द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति की अन्य सभी शर्तों को पूर्ण किये जाने की स्थिति में शिक्षकों के द्वारा बी०एड० की डिग्री प्राप्त करने हेतु अधिकतम 3 वर्षों का समय दिया जायगा । इस अवधि की समाप्ति पर यदि संस्था के सभी नव नियुक्त शिक्षक (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार) बी०एड० की योग्यता नहीं प्राप्त कर लेते है तो संस्था की स्थायी प्रस्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(ii) अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्वीकृत संस्था में मात्र निम्नलिखित शिक्षकेत्तर पद होंगे :-

(क)	प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल	एक
(ख)	रोकड़पाल-सह-काउन्टर क्लर्क	एक
(ग)	टंकक-सह-लिपिक	एक
(घ)	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	एक
(ङ)	चतुर्थवर्गीय कार्मचारी	तीन

(iii) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन महाविद्यालय के शिक्षक एवम् शिक्षकेत्तर कर्मसारियों की नियुक्ति राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार की जाएगी ।

(iv) शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए अपेक्षित अहर्ताएँ एवं अन्य सेवा शर्ते वही होंगी, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद् द्वारा विहित की जायेगी ।

(ङ) यह कि कला एवं विज्ञान संकाय को मिलाकर प्रथम वर्ष में कम-से-कम 100 छात्रों का नामांकन किया गया हो । वाणिज्य के लिए अतिरिक्त न्यूनतम संख्या 32 होगी ।

परंतु यह कि कला या विज्ञान संकाय के किसी ऐसे विषय में प्रस्वीकृति नहीं दी जाएगी जिसमें प्रथम वर्ष में छात्र संख्या 16 से कम हो ।

(1) प्रस्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में --

(क) जिस संस्था की स्थापना सरकार द्वारा की गई हो तथा जिसपर सरकार का स्वामित्व हो, वैसे मामले में सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दिया जायेगा और

(ख) अन्य संस्था के मामले में व्यवस्थापिका या प्रबन्धकारिणी समिति के सचिव द्वारा दिया जाएगा ।

(2) आवेदन पत्र सचिव को संबोधित होगा ।

(3) प्रत्येक आवेदन पत्र में विषयों के साथ उस संकाय या उन संकायों का उल्लेख रहेगा जिनमें संस्था शिक्षण कार्य करना चाहती है और इसमें निम्नलिखित सूचनाएँ दी जाएँगी :

(क) स्थायी प्रस्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों पर स्थलीय जाँच तथा संबंधित अभिलेखों/कागजातों के आधार पर परिषद् तीन माह के अन्दर इस बिन्दु पर अपना मन्तव्य गठित करेगी कि संबंधित संस्था नियम 7 में अंकित सभी शर्त्तों को पूर्ण करती है अथवा नहीं ।

(ख) जो संस्था सभी निर्धारित शर्त्तों को पूरा नहीं करती है उनके आवेदन कारणों का उल्लेख करते हुए परिषद् द्वारा संस्था को वापस लौटा दिये जायेंगे ।

(ग) जो संस्था सभी निर्धारित शर्त्तों को पूरा करती है उनके आवेदन अनुलग्नक कागजातों सहित स्पष्ट अनुशंसा के साथ परिषद् द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जायेंगे ।

(घ) राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही परिषद् द्वारा प्रस्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा ।

(ङ) परिषद् का निर्णय संबंधित संस्था को संसूचित किया जाएगा । इसमें उन विषयों/ पाठ्यक्रमों का उल्लेख किया जाएगा, जिनमें संस्था को प्रस्वीकृति दी गई है ।

अतिरिक्त विषय/पाठ्यक्रम की प्रस्वीकृति :

(क) यदि कोई संस्था प्रस्वीकृत पाठ्यक्रमों में कोई अन्य विषय/विषयों को जोड़ना चाहती है, तो वह एतदर्थ अनुमति के लिए प्रस्तावित सत्र के कम-से-कम 6 माह पूर्व आवेदन देगी ।

(ख) ऐसे सभी आवेदनों में नियम 7 के उपबन्ध लागू होंगे ।

प्रस्वीकृति प्राप्त संस्था को निम्नलिखित परिस्थितियों में परिषद् द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से पूर्णतः या अंशतः उन विशेषाधिकारों से वंचित किया जा सकेगा, जो उन्हें प्राप्त है:-

(क) यदि प्रस्वीकृति की किसी शर्त्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, या

(ख) परिषद् के नियमों या निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, या

(ग) संस्था में घोर कुव्यवस्था है ।

नियम 11 के अधीन कोई निर्णय लेने के पूर्व परिषद् संबंधित संस्था के सचिव को, सरकारी संस्था के मामले में संबंधित पदाधिकारी को युक्तिसंगत समय-सीमा के अन्दर कारण दर्शाने का नोटिस देगी ।

13. संस्था के आवेदन पर, यदि कोई अनुमोदन प्राप्त हुआ हो तो, और यदि कोई निरीक्षण या जाँच करायी गयी हो तो, उसके प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात, परिषद् ऐसा निर्णय ले सकेगी जो वह उचित समझे ।

14. नियम 7(ग) के प्रावधान के परन्तुक को छोड़कर जब किसी संस्था को उसे प्राप्त विशेषाधिकारों से अंशतः या पूर्णतः वंचित करने का निर्णय लिया जाता है तो उसके कारणों का उल्लेख किया जायेगा । परिषद् के निर्णय से संस्था को तुरंत अवगत कराया जायेगा ।

15. कोई संस्था परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर किसी विषय अथवा किसी संकाय में किसी कारण से अध्यापन कार्य स्थगित कर सकेगी । इस तरह से स्थगित अध्यापन कार्य परिषद् की मंजूरी के बिना प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा और यदि लगातार तीन वर्षों की अवधि पर्यन्त अध्यापन कार्य पुनः प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो पूर्व में दिया गया विशेषाधिकार स्वतः व्यपगत हो जाएगा ।

16. यदि किसी कारण से कोई संस्था किसी विषय में वर्गाध्यापन प्रारंभ करने में लगातार तीन सत्रों तक असमर्थ रहता है तो ऐसे विषय में पूर्व में दिया गया विशेषाधिकार व्यपगत हो जाएगा ।

17. (क) प्रत्येक प्रस्वीकृत संस्था के लिए एक शासी निकाय का गठन किया जायेगा ।
(ख) किसी भी प्रस्वीकृत संस्था के शासी निकाय के संबंध में विवाद होने पर इस संबंध में परिषद् का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

18. इस नियमावली के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण इस नियमावली का अंग समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
सुखदेव सिंह,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

झारखण्ड अधिविद्य परिषद अधिनियम 2002 की धारा 20(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राजपत्र अधिसूचना संख्या-3036 दिनांक-27.12.2005 से प्रकाशित अधिसूचित झारखण्ड इन्टरमिडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्तें एवं बन्धेज) नियमावली 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

यह नियमावली झारखण्ड इन्टरमिडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्तें एवं बन्धेज) संशोधन नियमावली, 2006 कही जायेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा। यह राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

संशोधन

1. झारखण्ड इन्टरमिडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्तें एवं बन्धेज) नियमावली 2005 के नियम-7 के उप नियम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा। यथा :-

7(ख) भवन (i) केवल कला संकाय के लिए 600 वर्गफीट प्रति कक्ष के साईज के उपस्कर युक्त 4 (चार) व्याख्यान कक्ष

(ii) कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए 600 वर्गफीट प्रति कक्ष के साईज के उपस्करयुक्त 6 (छः) व्याख्यान कक्ष

(iii) कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों के लिए 600 वर्गफीट प्रतिकक्ष के साईज के 8 (आठ) व्याख्यान कक्ष।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित संरचना आवश्यक है :-

क्रम	कमरा	न्यूनतम आकार (वर्गफीट)	संख्या
1.	प्राचार्य कक्ष-	600,	1
2.	कार्यालय -	600,	1
3.	पुस्तकालय-	1000,	1
4.	शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम-	600,	1
5.	छात्रों के लिए कॉमन रूम -	600,	1
6.	छात्राओं के लिए कॉमन रूम-	600,	1
7.	प्रयोगशाला- (प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिए अलग-अलग)	1000,	1

कृ०पृ०उ०

2. नियम-7-(iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

(iii) यदि संस्था ने परिनियम के सुरक्षा कोष के रूप में प्रथम संकाय के लिए 1,00,000/-रु० तथा अन्य प्रत्येक अतिरिक्त संकाय के लिए 25,000/- रु० जमा कर दिये हों, परन्तु जनजातीय क्षेत्र में अवस्थित महाविद्यालय के लिए प्रथम संकाय के लिए 50,000/-रु० तथा वाणिज्य संकाय के लिए 10,000/-रु० एवं विज्ञान संकाय के लिए 15,000/-रु० जमा कर दिये हों।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(ह०)

सरकार के सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक-6/अ8-08/2005 1585 / रांची, दिनांक- 27.2.06

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ह०)

सरकार के सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक-6/अ8-08/2005 1585 / रांची, दिनांक- 27.2.06

प्रतिलिपि, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक उच्च शिक्षा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०)

सरकार के सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक-6/अ8-08/2005 1585 / रांची, दिनांक- 27.2.06

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के आप्त सचिव को माननीय मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०)

सरकार के सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक-6/अ8-08/2005 1585 / रांची, दिनांक- 27.2.06

प्रतिलिपि, सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची/ राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ राज्य के सभी उपायुक्त/ राज्य के सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/ राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०)

सरकार के सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, रांची।